निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधित आदेश

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या- 195/ एक -11-2020-रा0-11 दिनांक 24-03-2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 की धारा - 2 की उपधारा – (जी) के अन्तर्गत कोविड के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-1054/2021-सीएक्स-3 दिनांक 19-06-2021, पत्र संख्या 1416/2021-सीएक्स-3 दिनांक 11.08.2021 व पत्र सं0 1403/2021 – सीएक्स-3 दिनांक 11.08.2021 व पत्र संख्या 1483/2021- सीएक्स-3 दिनांक 20.08.2021 के द्वारा संशोधित आदेश के अनुसार कोविड प्रोटोकाल के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पारित किये गये है।

साथ ही माह सितम्बर 2021 में दिनांक 04.09.21 को गुरु द्रोणाचार्य मेला, दि0 17.09.221 को विश्वकर्मा पूर्जा,दि0 19.09.21 को अन्नत चतुर्थदर्शी, दिनांक 28.09.21 चैहल्लुम का पर्व मनाया जायेगा। इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर शासन / विभिन्न आयोगों / परिषदों आदि के द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करायी जाती है, जिनकी नियत तिथि से कुछ समय ही पूर्व अवगत कराया जाता है, जिन्हे सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है।

स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नही है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रुप से पारित किया जा रहा है। अतः मैं, श्रद्धा पाण्डेय, अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था, गौतमबुद्धनगर आज दिनांक 31-08-2021 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश जारी करती हूँ –

1- मास्क / सोशल डिस्टेसिंग के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नही होगी।
2- रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक कोई भी सार्वजनिक गतिविधि अनुमन्य नही होगी।
3- कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेंगी।
4- किसी भी प्रकार की सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक / उत्सव से सम्बन्धित गतिविधियाँ तथा अन्य सभाएँ बिना किसी पूर्व अनुमति के नही की जायेगी।
5- सिनेमा हाल /मल्टी प्लैक्स सिनेमा हाल /जिम/ स्पोर्टस स्टेडियम में गतिविधियां बिना कोविड प्रोटोकाल के तथा 50 प्रतिशत से अधिक की संख्या होने पर अनुमन्य नही होगी।
6- स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नही होगी।

7- कंटेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों/ जोन में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु अनुमन्य नहीं होंगे।

8- मॉल्स, रेस्टोरेन्ट /होटल, के अंदर 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता अनुमन्य नहीं होगी।

9- शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों से अधिक की संख्या प्रतिबंधित होगी।

10- सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बसें,कैब्स आदि) में उनकी 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक की सवारी अनुमन्य नही होगी। 03 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 02 यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति एवं 04 पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों से अधिक अनुमन्य नहीं होगें।

11- शादी/ बारातों व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग / हर्ष फायरिंग नही की जायेगी।

12- कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना- प्रदर्शन आदि नही करेगा, न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा।

13- कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा, न ही चक्का जाम करेगा और न ही किसी को ऐसा करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा।

14- कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक अस्त्र या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। अन्धे – अपाहिजों पर लाठी- डंडे का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। जनपद के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी – गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाईसेंसी आग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर सुविधा उपलब्ध है तो वे अपने सुरक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्दर नहीं ले जायेंगे।

15- कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो / वीडियो कैसेट एवं सी0डी0 को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न प्रदर्शित करेगा।

16- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।

17- कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नही करेगा और न ही अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा और न ही कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा।

18- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाईल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नही ले जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केन्द्र से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नही करेगा।

19- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 गज की दूरी के अन्दर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड न तो एकत्रित करेगा ओर न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसकी मदद करेगा।

20- कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही किया जायेगा ।

यदि इस अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस सम्बन्ध में जारी नहीं किया जाता है तो **उपर्युक्त आदेश गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 31 अगस्त 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगा**। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुरुप इस निषेधाज्ञा के सम्बन्धित बिन्दु स्वतः संशोधित माने जाएंगे। इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखण्ड का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 31 अगस्त 2021 को मेरे हस्ताक्षर व सर्वमुहर कर जारी किया गया।

(श्रद्धा पाण्डेय)
अपर पुलिस उपायुक्त,
कानून एवं व्यवस्था
गौतमबुद्धनगर।

पत्र संख्याः एडी0 डीसीपी- एल0ओ0/2021
दिनांकः अगस्त 31, 2021

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस आयुक्त , गौतमबुद्धनगर।
2. अपर पुलिस आयुक्त, कानून एव व्यवस्था / मुख्यालय, गौतमबुद्धनगर।
3. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. समस्त पुलिस उपायुक्त, गौतमबुद्धनगर।
5. समस्त अपर पुलिस आयुक्त/ सहायक पुलिस आयुक्त/ सी0एफ0ओ0, प्रभारी एल0आई0यू0 गौतमबुद्धनगर।
6. उप निदेशक, सूचना गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि इस आदेश का प्रकाशन जनपद के समस्त दैनिक समाचार- पत्रों के अगले अंक में कराएं।
7. समस्त थाना प्रभारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि इस आदेश का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करायें तथा निर्देशो का अनुपालन करायें।